न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी,जिला– सवाई माधोपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी.का नाम – श्री नवरत्न कोली, आर0ए0एस0

मुकदमा नंबर	किस्म मुकदमा	दर्ज दिनांक	निर्णय दिनांक
07/2018	निगरानी	04.07.2018	27.06.2022

1. भीमसिंह पुत्र भौरया जाति मीना निवासी खिदरपुर ग्राम पंचायत महानन्दपुर तहसील गंगापुर सिटी।
2. काडू पुत्र मिश्रया जाति मीना निवारी खिदरपुर ग्राम पंचायत महानन्दपुर तहसील गंगापुर सिटी।

– निगरानीकारान –

बनाम

1. ग्राम पंचायत महानन्दपुर ड्योढा, तहसील गंगापुर सिटी, जरिये सरपंच।
2. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, गंगापुर सिटी।

– अप्रार्थीगण –

निर्णय

दिनांकः 27.06.2022

1. यह निगरानी निगरानीकारान की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री हर्षवर्द्धन शर्मा द्वारा विकास अधिकारी, पंचायत समिति गंगापुर सिटी के आदेश क्रमांक 17.07.2012 एवं ग्राम पंचायत महानन्दपुर ड्योढा द्वारा जारी पट्टा विक्रय विलेख दिनांक 20.03.09 के विरूद्ध पेश की गई।
2. निगरानी के मुताबिक संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत महानन्दपुर ड्योढा द्वारा दिनांक 20.03.09 को सामुदायिक भवन ग्राम खिदरपुर के लिये जारी पट्टा विक्रय नामा को निरस्त करने हेतु अपील प्रस्तुत की थी, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी अपील और अधिकार के विधि विरूद्ध तरीके से बदनियति और राजनैतिक दबाव के कारण निगरानीकारान से सम्बन्धित पट्टा दिनांक 13.03.1984 को निरस्त कर दिया है।
3. प्रकरण में निगरानीकारान ने प्रस्तुत निगरानी में आगे कथन किया है कि विकास अधिकारी ने गैरकानूनी रूप से पट्टा दिनांक 20.03.09 को सही माना है। जबकि वास्तविकता यह है कि जब निगरानीकारान को ग्राम पंचायत पट्टा दिनांक 13.03.1984 जारी कर चुकी एवं निगरानीकारान द्वारा भूमि पर तीन गह पाटौर बना दी गई एवं जायदाद का उपयोग उपभोग बतौर काबिज स्वामी प्रारम्भ कर दिया एवं निर्माण के लिये पत्थर डलवा दिया तो ऐसी स्थिति में उसी स्थान का पट्टा पुनः दिनांक 20.03.09 को जारी करने का अधिकार ग्राम पंचायत को नही है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा दिनांक 20.03.09 निगरानीकारान एवं उनके परिवार को विद्वेषता पूर्ण

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

तरीके से नुकसान पहुँचाने की दृष्टि से राजनैतिक दुर्भावना से गैरकानूनी रूप से बनवाया गया है। जिसको बनाने से पूर्व राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 162 (2) के अन्तर्गत राज्य सरकार से अनुमति नही ली गई तथा एक ही दिन में सारी कार्यवाही करते हुए पट्टा विक्रय विलेख दिनांक 20.03.2009 कागजों में बना दिया गया है। जबकि 30 दिन का आपत्ति नोटिस देना आवश्यक था तथा जबरन निगरानी गुजारान की पट्टेशुदा जायदाद 34 X 34 फिट मे से 16.5 X 38 फिट पर सामुदायिक भवन बना दिया गया है। अब पूर्व से पश्चिम में 21.3 फिट एवं उत्तर से दक्षिण 38 फिट भूमि जिसमें कि अपीलान्ट की तीन गह पाटौर पोश बनी हुई है एवं पत्थर पडे हुए है को खाली छोडा है। इस प्रकार विपक्षी ने पट्टा दिनांक 20.03.2009, क्षेत्रफल 40 X 40 फिट गलत रूप से बनाया है। मौके पर निगरानीकारान काबिज है। न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश महोदय, गंगापुर सिटी ने अपील संख्या 3/12 उनवानी काडू बनाम राज0 राज्य में अपने आदेश दिनांक 02.05.12 के द्वारा विपक्षीगण व सरकार को निर्माण नही करने के लिये पाबन्द कर दिया है एवं अपने निर्णय में स्पष्ट रूप से अंकित कर दिया है कि सामुदायिक भवन का निर्माण पूर्ण हो चुका है लेकिन विवादित स्थल पर अभी बहुत सारा भू–भाग बाकी खाली रहा है। ऐसी स्थिति में निगरानीकारान काडू वगै0 के सम्पत्ति में अधिकार प्रभावित रहा है। इसलिये निर्माण नही करने के लिये विपक्षीगण राजस्थान सरकार को पाबन्द किया जाना आवश्यक है। मौका कमिश्नर रिपोर्ट दिनांक 15.12.2011 मे स्पष्ट रूप से अंकित है कि मात्र 16.5 फिट चौडाई मे सामुदायिक भवन का निर्माण हुआ है तथा 21.3 फिट की चौडाई में भूमि जिसमे कि निगरानीकारान की तीन गह पाटौर पौश बनी हुई पत्थर पडे हुए है। इस प्रकार विकास अधिकारी ने अपने निर्णय मे यह गलत दर्ज किया है कि सामुदायिक भवन बन चुका है इसलिए पट्टे को बहाल रखते हुए अपील खारिज की जाती है। इस प्रकर आदेश विकास अधिकारी निरस्त होने योग्य है।

4. प्रकरण में निगरानीकारान ने आगे कथन किया है कि उनको जारी पट्टा दिनांक 13.03.1984 ग्राम पंचायत के पूर्ण कोरम में प्रस्ताव पास कर जारी किया गया है। मौका मुआयना रिपोर्ट पर नियमानुसार पंचो के हस्ताक्षर है। जायदाद पर निगरानीकारान का कब्जा पुश्तैनी है, जो पट्टा जारी करने से पूर्व भी था। यह पंचो की रिपोर्ट से साबित है। वर्तमान में उक्त विवादित भूमि पर निगरानीकारान काबिज है। यह तथ्य मौका कमिश्नर रिपोर्ट दिनांक 15.12.2011 से साबित है। भीमसिंह, मिश्रया दोनों बालिग थे। भीमसिंह को पट्टा प्राप्ति के समय 18 वर्ष की आयु से कम होना गलत अंकित किया है। जिसका कोई सबूत नही के बावजूद मात्र संदिग्ध शब्द लिखकर निर्णय गैरकानूनी रूप दे दिया गया है। निगरानीकारान का पट्टा दिनांक 13.03.1984 ग्राम पंचायत महानन्दपुर द्वारा मिसल संख्या 7/1–5/1983 के द्वारा विधिसंगत प्रक्रिया अनुसार राशि जमा करवाना, ग्राम पंचायत की बैठक मे निर्णय लिया जाना तथा मौके पर निगरानीकारान का काबिज होना आदि तथ्यों के आधार पर नियमानुसार सारी कार्म्रवाही करते हुए पट्टा दिनांक 13.03.1984 जारी किया गया है।

5. प्रकरण में निगरानीकारान ने आगे कथन किया है कि पट्टा दिनांक 13.03.1984 के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के किसी भी व्यक्ति ने अपील/आपत्ति पेश नही की है। इसके बावजूद विकास अधिकारी ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर गैरकानूनी रूप से पट्टा दिनांक 13.03.1984 को निरस्त किया है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

6. प्रकरण में निगरानीकारान ने निवेदन किया है कि निगरानी, निगरानीकारान स्वीकार की जाकर विकास अधिकारी, गंगापुर सिटी का निर्णय दिनांक 17.07.2012 निरस्त फरमाया जावे एवं ग्राम पंचायत महानंदपुर ड्योढा द्वारा जारी पट्टा विक्रय विलेख दिनांक 20.03.2009 निरस्त फरमाया जाकर पट्टा दिनांक 13.03.1984 बहाल किये जाने के आदेश फरमाये।

7. निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर तलबी अप्रार्थीगण जरिये नोटिस की गई एवं पत्रावलियां तलब की गई। जिनमे से विकास अधिकारी, गंगापुर सिटी का आदेश दिनांक 17.07.2012 एवं ग्राम पंचायत महानंदपुर ड्योढा द्वारा जारी पट्टा दिनांक 20.03.2009 से संबंधित पत्रावली प्राप्त हुई तथा ग्राम महानंदपुर ड्योढा द्वारा भीमसिंह पुत्र भौरया एवं मिश्रया पुत्र नगन मीना को जारी पट्टा दिनांक 13.03.1984 से संबंधित अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली अप्राप्त। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना उपस्थित नही। अतः उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

8. बहस विद्वान अधिवक्ता निगरानीकारान सुनी गई। साथ ही लिखित बहस भी पेश की गई जो शामिल मिसल की गई। विद्वान अधिवक्ता निगरानीकारान ने बहस के दौरान निगरानी में अंकित तथ्यों का दोहरान करते हुए कहा कि अधीनस्थ न्यायालय पंचायत समिति द्वारा निगरानीकारान के पक्ष मे जारी पट्टा दिनांक 13.03.1984 को बिना किसी अपील के निरस्त कर दिया। ग्राम पंचायत महानंदपुर ड्योढा द्वारा एक ही स्थान का पट्टा दिनांक 20.03.2009 को जारी कर दिया जबकि ग्राम पंचायत को इसका कोई अधिकार नही है। अतः निगरानी निगरानीकार स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावें।

9. हमने निगरानी एवं अधीनस्थ न्यायालय की मिसलों का अद्योपान्त सूक्ष्म अवलोकन व मनन किया। अधिवक्ता निगरानीकारान द्वारा की गई बहस पर भी सूक्ष्म रूप से मनन किया।

10. हस्तगत प्रकरण में निगरानीकारान ने ग्राम पंचायत द्वारा उनको जारी पट्टा दिनांक 13.03.84 को विधिसंगत बताया है तथा ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा दिनांक 20.03.09 को नियम विरूद्ध बताया है। निगरानीकारान को जारी पट्टा दिनांक 13.03.1984 को विधि अनुकूल साबित करने का भार निगरानीकारान का है। इस संबंध में निगरानीकारान के अनुरोध पर पट्टा दिनांक 13.03.1984 की मूल पत्रावली ग्राम पंचायत महानंदपुर ड्योढा से तलब की गई। परंतु ग्राम पंचायत महानंदपुर ड्योढा के पत्रांक एस.पी.–1 दिनांक 29.06.2016 से सूचित किया गया कि उक्त पत्रावली मेरे चार्ज मे प्राप्त नही हुई है तथा कार्यालय का अवलोकन करने पर भी नही पाई गई है। अतः ऐसी स्थिति मे पत्रावली जमा करवाना संभव नही है। निगरानकारान द्वारा उनको जारी पट्टा दिनांक 13.03.1984 की विधि अनुकूलता के संबंध मे मौखिक या दस्तावेजी ठोस साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय या न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत नही किया हैं तथा इस पट्टे के संबंध मे कोई पत्रावली कार्यालय ग्राम पंचायत महानंदपुर ड्योढा मे अस्तित्व मे नही है। पट्टा दिनांक 20.07.2009 के संबंध मे हमको यह तय करना है कि क्या उक्त पट्टे को जारी करने का अधिकार ग्राम पंचायत को था या उसकों जारी करने मे कोई अनियमितता की गई है। आबादी भूमि ग्राम पंचायत के स्वामित्व की भूमि होती है जिसमे पट्टा जारी करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होता है। हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली मे सामुदायिक भवन के लिए पट्टा दिया जाने बाबत् आवेदन पत्र, बयान मौका स्थिति, आबादी भूमि का निरीक्षण प्रपत्र, फैसला फॉर्म, आज्ञाओं की सूची, आक्षेप नोटिस एवं पट्टा दिनांक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (राज.)

20.03.2009 संलग्न है। आम ग्राम पंचायत पाक्षिक बैठक दिनांक 20.03.2009 मे प्रस्ताव संख्या 3 पारित कर पट्टा जारी किया गया है तथा पट्टा जारी करने से पूर्व आबादी भूमि के प्रस्तावित विक्रय के संबंध मे आक्षेप आमंत्रित करने का नोटिस भी जारी किया गया है तथा नोटिस को सार्वजनिक स्थान मंदिर पर चस्पा कर आपत्ति ली गई है। चूंकि ग्राम पंचायत महानंदपुर ड्योढा द्वारा सार्वजनिक कार्य हेतु सामुदायिक भवन के लिए पट्टा जारी किया गया है। तथा सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग, गंगापुर सिटी द्वारा कराया गया है जो कि पूर्ण किया जाकर ग्राम पंचायत द्वारा समस्त ग्रामवासी खिदरपुर को सम्भला दिया गया है। निगरानीकारान ने हस्तगत प्रकरण मे उनको जारी पट्टा दिनांक 13.03.1984 के बारे मे कोई दस्तावेजी ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है। इस प्रकार निगरानीकारान पट्टा दिनांक 13.03.1984 को साबित करने मे असफल रहे है। राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के प्रावधानानुसार केवल हितबद्ध व्यक्ति द्वारा ही निगरानी पेश की जा सकती है। पट्टा दिनांक 13.03.1984 को साबित करने मे असफल रहने के कारण सामुदायिक भवन हेतु आवंटित भूमि मे निगरानीकारान हितबद्ध पक्षकार नही है। आबादी भूमि ग्राम पंचायत के स्वामित्व की भूमि होती है जिसमे पट्टा जारी करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होता है। अतः हस्तगत निगरानी को साबित करने मे निगरानीकारान असफल रहे है, अतः अधीनस्थ न्यायालय पंचायत समिति, गंगापुर सिटी द्वारा जारी आदेश दिनांक 17.07.2012 को बहाल रखते हुए निगरानी को खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः हस्तगत निगरानी को साबित करने मे निगरानीकारान असफल रहे है, इसलिए अधीनस्थ न्यायालय पंचायत समिति गंगापुर सिटी द्वारा जारी आदेश दिनांक 17.07.2012 को बहाल रखते हुए निगरानी को खारिज किया जाता है। निर्णय की एक प्रति एवं मूल मिसल अदालत मातहत संबंधित न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावें।

यह आदेश आज दिनांक 27.06.22 को सरे इजलास सुनाया।

(नवरत्न कोली)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी